UPMA010059782024

न्यायालय–सत्र न्यायाधीश, जनपद मऊ(उ०प्र०)।
पीठासीन अधिकारी–संजय कुमार यादव–III(एच.जे.एस.)
ID Code–UP2023
दाण्डिक प्रकीर्ण वाद सं०–382/2024

अजीत कुमार–––––––बनाम–––––उ०प्र० राज्य व अन्य

दिनांकः 05.08.2026

(1) पत्रावली पेश हुई। पुकार पर आवेदक/प्रस्तावित निगरानीकर्ता की ओर से उपस्थित नहीं हुआ। विपक्षी सं० 1 की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता उपस्थित हुये और उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि आवेदक विगत कई तिथियों से उपस्थित नहीं हो रहा है और न ही कोई स्थगन प्रार्थना पत्र ही प्रस्तुत किया गया है।

(2) पत्रावली के अवलोकन से दर्शित है कि प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी, विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 27.06.2024 के विरूद्ध लगभग 2 माह विलम्ब से दिनांक 12.11.2024 को प्रस्तुत किया है। उक्त हुये विलम्ब के संबन्ध में आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र 5 ख अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया गया है, जिसमें विलम्ब के लिए कोई स्पष्ट, विशिष्ट एवं संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया गया है, जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि आवेदक पर्याप्त कारण के कारण निर्धारित अवधि के भीतर दाण्डिक निगरानी प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा। मात्र औपचारिक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर देना धारा 5 परिसीमा अधिनियम के अधीन विलम्ब क्षमा किये जाने का आधार नहीं हो सकता। विलम्ब क्षमा किये जाने के लिए न्यायालय का यह संतुष्ट होना आवश्यक है कि विलम्ब वास्तविक, सद्भावनापूर्ण एवं अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण हुआ है।

(3) इसके अतिरिक्त, पत्रावली से यह भी परिलक्षित होता है कि प्रार्थना पत्र 5 ख के निस्तारण हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद आवेदक अथवा उसके विद्वान अधिवक्ता विगत कई तिथियों से न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए और न ही किसी प्रकार का स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। इस आचरण से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि आवेदक स्वयं अपने द्वारा प्रस्तुत विलम्ब क्षमा प्रार्थना पत्र को आगे बढ़ाने के प्रति गंभीर अथवा रुचि शील नहीं है।

(4) इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों के अधिमूल्यन से स्पष्ट कि प्रस्तुत मामले में जब तक विलम्ब विधिनुसार क्षमा नहीं किया जाता, तब तक समय बाधित प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी

Digitally signed by SANJAY KUMAR YADAV
Date: 2026.08.06 14:33:43 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

विचारणीय नहीं हो सकती। प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक दाण्डिक निगरानी प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के लिए पर्याप्त कारण स्थापित करने में पूर्णतः असफल रहा है, जिसके कारण धारा 5 परिसीमा अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 5 ख स्वीकार किये जाने का कोई विधिसम्मत आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। उपरोक्त तथ्य व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तुत दाण्डिक प्रकीर्ण वाद निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

(5) आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सं० 5 ख, अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम, निरस्त किया जाता है। इस प्रकार, प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी समय सीमा से बाधित होने के कारण उसके ग्राहयता के बिन्दु पर सुने जाने का विधिसंगत आधार नहीं है। तदनुसार, पत्रावली निस्तारित की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक–05.08.2026

सत्र न्यायाधीश
मऊ